

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


तारीख हुकम

उनवान सरकार बनाम

मुकदमा नं० निर्णय दि०.....

18.12.20

पत्रावली पेश हुई। वाद का अवलोकन किया गया।
वादी का स्थायी निषेधाज्ञा का अनुरोध सह-
रगतेदार के विरुद्ध है।
विधेक प्रावधानों अनुसार सहरगतेदार के विरुद्ध
स्थायी निषेधाज्ञा वाद पोषणीय नहीं होने
के कारण वाद वादी इसी स्तर पर खारिज
किया जा रहा है।


(सहायक जज)
18.12.20
जयसुन्दर अफिकारी
जिला न्यायाधीश

